न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/511/2015

वउनवान

1. धर्मसिंह पुत्र बृजलाल जाति मीना
2. फूलसिंह पुत्र बृजलाल जाति मीना
3. दीपचन्द पुत्र बृजलाल (मृतक)

3/1. दीपेश पुत्री दीपचन्द उम्र 6 साल नाबालिग जरिये सपरस्त पिता धर्मसिंह मीना निवासी मोतीकानगला

4. कमला वेवा प्रभूदयाल जाति मीना निवासी मोतीकानगला तहसील कठूमर जिला अलवर

----- वादीगण

बनाम

1. गंगासहाय पुत्र रामचन्द जाति मीना निवासी मोतीकानगला
2. बाबूलाल पुत्र रामचन्द जाति मीना निवासी मोतीकानगला तहसील कठूमर
3. तहसीलदार कठूमर

---- प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

श्री भवानीसिंह चौहान : अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक 11.06..2018

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 369 रकवा 3 वीघा 6 विस्वा वाके ग्राम मोतीकानगला तहसील कठूमर में स्थित है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा मृतक छुट्टन की संताने है। छुट्टन के दो पुत्र बृजलाल एंव प्रभूदयाल पैदा हुये जो दोनों ही फौत हो चुके है जिनमें बृजलाल के तीन पुत्र वादी संख्या 1 ला03 धर्मसिंह फूलसिंह दीपचन्द पैदा हुये तथा प्रभूदयाल के एक मात्र कमला पत्नी वारिस है। विवादित आराजी वादीगण की

Scanned by CamScanner

कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिसमें वादी संख्या 1 ला03 का 1/2 हिस्सा तथा वादी संख्वया 4 का 1/2 हिस्सा है तथा वादीगण से पूर्व उनके पिता बृजलाल एंव पति प्रभूदयाल काविज रहकर काश्त करते थे। विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कभी कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा और ना अव है। विवादित आराजी व दीगर आराजी वावत पूर्व में वउनवान मुकदमा गंगासहाय बनाम धर्मसिंह वगैरा के नाम से मुकदमा अदालत श्रीमान मं चला था जिसमें पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया जिस राजीनामा में खसरा नम्बर 369, 372 मिन तर्फ दक्षिण दिशा वाके ग्राम डोरोली जो कि अव मोतीकानगला में है प्रतिवादी धर्मसिंह फूलसिंह दीपचन्द हिस्सा 1/2 तथा कमला वेवा प्रभू 1/2 हिस्सा कब्जे काश्त व खातेदारी में रहेगी तथा खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी होगें राजीनामा की प्रति दावा के साथ पेश की गयी है। वाद राजीनामा से वादीगण पूर्वजों के समय से विवादित आराजी पर काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन विवादित आराजी वावत राजस्व कर्मचारियान ने प्रतिवादीगण के नाम गलत इन्द्राज दर्ज कर दिये है जिस गलत इन्द्राज को वादीगण दुंरूस्त कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण जबर्दस्त लोग है जो विना अधिकार के विवादित आराजी से वादीगण को वेदखल कर खुद कब्जा करना चाहते है। हाल गलत राजस्व रेकार्ड के आधार पर रहन वय करना चाहते है जवकि प्रतिवादीगण राजीनामा दिनांक 19.06.2000 से पाबन्द है। प्रतिवादीगण को ऐसा करने का अधिकार नहीं है यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गया तो वादीगण को अपार हानि व क्षति होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः वादीगण ने प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी अपने नाम घोषित कराने व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। दिनांक 12.02.2008 को प्रतिवादीगण बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

वादीगण ने अपने दावा के साथ जमाबन्दी संवत 2058 से 2061 प्रदर्श 1 वाके ग्राम मोतीकानगला की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में गवाह पी डब्ल्यू 1 फूलसिंह व गवाह जगदीष पी डब्ल्यू 2 के वयान लेखवद्व कराये है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि विवादित आराजी वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर वादीगण का पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हुआ है मुताविक राजीनामा विवादित आराजी वादीगण को

Scanned by CamScanner

प्राप्त हुई है। अतः वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी 2058 से 2061 में विवादित आराजी वादीगण के 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण व मांगी वेवा रामचन्द की खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी वादीगण की वुजुर्गान खातेदारी की हो या विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा हो इस तरह का वादीगण ने कोई राजस्व रेकार्ड पेश नहीं किया है। जहां तक राजीनामा पेश करने का प्रश्न है राजीनामा पत्रावली में संलग्न है लेकिन राजीनामा अदालत द्वारा तस्दीक नहीं किया गया है। केवल वादी एंव प्रतिवादीगण के द्वारा राजीनामा पेश करने से वादीगण को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। केवल वादी फूलसिंह व स्वतंत्र गवाह जगदीष के वयानों के आधार पर विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कर वादीगण को खातेदारी की घोषणा नहीं की जा सकती है। विवादित आराजी के 1/2 हिस्सा वावत वादीगण खातेदारी अधिकार घोषित कराने के अधिकारी नहीं है। वाद वादीगण सावित नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादीगण इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी वावत आराजी खसरा नम्बर 369 रकवा 3 वीघा 6 विस्वा वाके ग्राम मोतीकानगला तहसील कठूमर वावत सावित ना होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 11.06.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/511/2015

1. धर्मसिंह पुत्र बृजलाल जाति मीना
2. फूलसिंह पुत्र बृजलाल जाति मीना
3. दीपचन्द पुत्र बृजलाल (मृतक)

3/1. दीपेश पुत्री दीपचन्द उम्र 6 साल नाबालिग जरिये सपरस्त पिता धर्मसिंह मीना निवासी मोतीकानगला

4. कमला वेवा प्रभूदयाल जाति मीना निवासी मोतीकानगला

तहसील कठूमर जिला अलवर

------ डिक्रीदारान

बनाम

1. गंगासहाय पुत्र रामचन्द जाति मीना निवासी मोतीकानगला
2. बाबूलाल पुत्र रामचन्द जाति मीना निवासी मोतीकानगला

तहसील कठूमर

3. तहसीलदार कठूमर

----- मदयूनान

दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादीगण इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी वावत आराजी खसरा नम्बर 369 रकवा 3 वीघा 6 विस्वा वाके ग्राम मोतीकानगला तहसील कठूमर वावत सावित ना होने से खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 11.06.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner